डिस्कलेमर

आदेश संख्या 12/2025-26 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण/
Airports Economic Regulatory Authority of India
*****

आदेश संख्या 12/2025-26

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003.

जारी करने की तारीख : 09.09.2025

सेवा	:	**इंटो प्लेन सेवाएं**
सेवा प्रदाता	:	**इंडियन ऑयल स्काइटैंकिंग लिमिटेड (आईओएसपीएल)**
हवाईअड्डा	:	**नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर**
हवाईअड्डा प्रचालक	:	**मैसर्स यमुना इंटरनेशनल एअरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**

विषय: इंडियन ऑयल स्काइटैंकिंग लिमिटेड द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीयहवाईअड्डा, जेवर में प्रदान की जाने वाली इंटो प्लेन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2026 तक तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

आईओएसपीएल की प्रस्तुति:

1. ज़्यूरिख अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी मैसर्स यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीआईएपीएल), नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर को डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर विकसित कर रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा है जिसे पहले चरण में 12 लाख यात्रियों के संचालन के लिए निर्माण किया गया है और इसके वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में चालू होने की आशा है।

2. वाईआईएपीएल (हवाईअड्डा प्रचालक) ने वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से पांच वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इंटो प्लेन सेवाएं रियायती रूप से प्रदान की हैं और 8 नवंबर, 2023 को मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईएसपी) के साथ इंटो प्लेन सेवा करार किया है। आईएसपी द्वारा हवाईअड्डे के प्रचालन की तारीख के अनुरूप वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में प्रचालन शुरू करने की आशा है।

3. आईओएसपीएल ने दिनांक 25 जून, 2025 के पत्र के माध्यम से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के संबंध में टैरिफ निर्धारण हेतु प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अपने एमवाईटीपी प्रस्ताव के भाग के रूप में आईओएसएल ने बताया कि: -

(i) संयंत्र एवं मशीनरी के अंतर्गत 12.20 करोड़ रुपये की राशि पहले ही पूंजीकृत की जा चुकी है तथा आईओएसपीएल द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि (अर्थात नियंत्रण अवधि के प्रथम टैरिफ वर्ष में) के दौरान विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणियों के लिए 9.80 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

(ii) नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन मात्रा (थ्रूपुट) अनुमान निम्नानुसार है:

विवरण	**वित्त वर्ष 2025-26**	**वित्त वर्ष 2026-27**	**वित्त वर्ष 2027-28**	**वित्त वर्ष 2028-29**	**वित्त वर्ष 2029-30**
ईंधन मात्रा (थ्रूपुट) (कि. ली.)	1,20,296	2,08,902	2,79,493	3,51,868	4,85,732

(iii) वाईआईएपीएल और आईओएसपीएल के बीच निष्पादित रियायत करार (सीए) के अनुसार, आईएसपी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए हवाईअड्डा प्रचालक को अपने सकल राजस्व का 5% राजस्व हिस्सा देगा।

(iv) <u>आईओएसपीएल ने प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आईटीपी सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित टैरिफ का प्रस्ताव किया है:</u>

टैरिफ अवसंरचना	**यूओएम**	**आईटीपी शुल्क**
विमान का ईंधन		
हुकअप शुल्क/उड़ान	भारतीय रूपए	1200.00
500 लीटर तक की मात्रा	भारतीय रूपए/किली	360.60
500 लीटर से अधिक मात्रा	भारतीय रूपए/किली	323.50
विमान का ईंधन खाली करना		
6 घंटे के भीतर	भारतीय रूपए/किली	360.60
6 घंटे के बाद	भारतीय रूपए/किली	540.90
खाली किया गया उत्पाद भरना		
6 घंटे के भीतर	भारतीय रूपए/किली	450.75
6 घंटे के बाद	भारतीय रूपए/किली	540.90

आईओएसपीएल के अनुरोध की प्राधिकरण द्वारा जांच:

4 प्राधिकरण नोट करता है कि आईओएसपीएल को हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में बोली प्रक्रिया के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि के लिए विमान सेवाओं के लिए रियायत प्रदान की गई है, जो सीओडी से प्रभावी है।

आईओएसपीएल ने नोएडा हवाईअड्डे पर आईटीपी सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद पहले ही कर ली है और संयंत्र एवं मशीनरी पर 12.20 करोड़ रुपये का पूंजीकरण किया है। आईएसपी ने वित्त वर्ष 2025-26 (नियंत्रण अवधि का प्रथम टैरिफ वर्ष) के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी, कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिटिंग, वाहन आदि पर 9.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) भी प्रस्तावित किया है। आईओएसपीएल ने सूचित किया है कि आईटीपी सेवाओं को शुरू करने हेतु अपनी प्रचालनात्मक तत्परता के तहत, आवश्यक जनशक्ति के साथ निम्नलिखित वाहन पहले ही हवाईअड्डे पर तैनात किए जा चुके हैं:

• 6 (छह) हाइड्रेंट डिस्पेंसर (3800 लीटर प्रति मिनट (एलपीएम))
• 6 (छह) हाइड्रेंट डिस्पेंसर (1500 एलपीएम)
• 2 (दो) एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर (22 किलोलीटर क्षमता)
• 2 (दो) एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर (16 किलोलीटर क्षमता)

5 जहां तक आईटीपी सेवाओं के लिए आईओएसपीएल द्वारा प्रस्तावित टैरिफ का सबंध है [उपर्युक्त पैरा 3(iv) के अनुसार], यह नोट किया जाता है कि आईएसपी ने वही हुक अप शुल्क/उड़ान प्रस्तावित किया है जैसा कि रियायत करार में उल्लिखित है और आईओएसपीएल द्वारा प्रस्तावित आईटीपी शुल्क के अन्य घटक (विमानों में ईंधन भरना, विमानों को ईंधन खाली करना/भरना और ईंधन रहित उत्पाद को पुन: भरना) रियायत करार (अनुसूची के) में निर्धारित संबंधित प्रभार से कम हैं।

6 प्राधिकरण ने पाया है कि आईएसपी ने अपनी टैरिफ अवसंरचना में प्रति उड़ान 1200 रुपये का हुक अप शुल्क और दो स्लैब के तहत आईटीपी सेवा शुल्क प्रस्तावित किया है, अर्थात 5000 लीटर तक की मात्रा के लिए - आईटीपी प्रभार 360.60 रुपये / कि.ली. की दर से और 5000 लीटर से अधिक की मात्रा के लिए - आईटीपी शुल्क 323.50 /कि.ली. की दर से।

7 प्राधिकरण ने 1 अगस्त, 2025 की ईमेल के माध्यम से हुकअप शुल्क के औचित्य और आईटीपी सेवा प्रभारों के लिए दो स्लैब दरों पर स्पष्टीकरण मांगा। जवाब में आईएसपी ने 03.08.2025 की ईमेल के माध्यम से बताया कि "हुक-अप शुल्क करार के अनुरूप है और मानक अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार है। यह शुल्क शून्य अपलिफ्ट लेने वाले विमान से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए गए उपकरण और जनशक्ति सेवाओं के लिए वसूली सुनिश्चित करता है और जहां दूसरे अपलिफ्ट के लिए नए पुन: कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जिसमें आमतौर पर ईंधन समायोजन के लिए मामूली मात्रा आवश्यक होती है"। आईटीपी सेवा शुल्क की दो स्लैब दरों के संबंध में, आईएसपी ने बताया कि "आईटीपी शुल्क हवाईअड्डे के साथ किए गए आईटीपी करार के अनुसार अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार है, जिनमें लाभ बढ़ी हुई मात्राओं के लिए हस्तांतरित किया जाता है क्योंकि इससे जनशक्ति और उपकरण के संसाधनों के अनुकुलतम उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

8 प्राधिकरण ने प्रस्तावित इंटों प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए विनियामक और सांविधिक अनुमोदनों की स्थिति की जानकारी मांगी है। ऐरा के प्रश्न के उत्तर में, आईएसपी ने दिनांक 01.08.2025 की ईमेल द्वारा बताया कि संबंधित प्राधिकरणों से निम्नलिखित अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं:

- एएआई से ऊँचाई की अनुमति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र
- प्रचालन हेतु सहमति (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)
- विद्युत स्थापना हेतु विद्युतीकरण हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का अनुमोदन

- श्रमिक पंजीकरण
- टैंक अंशांकन प्रमाणपत्र (मौसम विज्ञान विभाग)
- कारखाना लाइसेंस
- अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र
- पीईएसओ अनुमोदन
- संगठन के लिए बीसीएएस का अनुमोदन

डीजीसीए के अनुमोदन के संबंध में, आईएसपी ने बताया कि सुविधाओं की तैयारी के संबंध में डीजीसीए को एक औपचारिक आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। उत्पाद के नमूनों के परीक्षण के बाद डीजीसीए द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया जाएगा। डीजीसीए ने स्थल का प्रारंभिक दौरा पहले ही कर लिया है।

9 प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30) के लिए आईटीपी सेवाओं के संबंध में टैरिफ निर्धारण हेतु आईओएसपीएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है/प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईएसपी द्वारा प्रस्तावित आईटीपी सेवाओं के संबंध में टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। टैरिफ निर्धारण के लिए ऐरा का विनियामक दृष्टिकोण व्यापक है, जिसमें विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों की समीक्षा और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), प्रचालन व्यय (ओपेक्स), यातायात मात्रा आदि से संबंधित विभिन्न अनुमानों/प्रक्षेपणों के संबंध में तर्कसंगतता/औचित्य का आकलन शामिल है, जिसके आधार पर परामर्श पत्र जारी किया जाता है। उसके बाद हितधारकों से परामर्श किया जाता है और हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों और सेवा प्रदाता की जवाबी-टिप्पणियों पर विचार करने के बाद अंतिम टैरिफ आदेश जारी किया जाता है।

10 इस बीच, प्राधिकरण ने प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30) के लिए आईओएसएल द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी की प्रारंभिक जाँच की है और आईएसपी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ प्रस्ताव पर सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि आईटीपी सेवा प्रभार (विमानों में ईंधन भरना) के लिए टैरिफ अस्थायी रूप से ₹300/किलोलीटर से ₹450/किलोलीटर के बीच है। जबकि, आईएसपी ने नोएडा हवाईअड्डे पर विमानों में ईंधन भरने के लिए ₹360.60/किलोलीटर (5000 किलोलीटर तक की मात्रा) और ₹323.50/किलोलीटर (5000 किलोलीटर से अधिक की मात्रा) की आईटीपी प्रभार तदर्थ आधार पर प्रस्तावित किए हैं।

11 उपर्युक्त के मद्देनजर और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईओएसएल के प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रचालन शीघ्र होने को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने अंतरिम उपाय के रूप में विमानों में ईंधन भरने के लिए तदर्थ आईटीपी सेवा प्रभार अर्थात 310 रुपये प्रति किलोलीटर मानने का निर्णय लिया है, जो नवी मुंबई (एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा), कन्नूर जैसे अन्य हवाईअड्डों पर समान सुविधा के लिए लागू टैरिफ के बराबर है और मोपा-गोवा हवाईअड्डे पर लागू वर्तमान टैरिफ से कम है।

12 इसके अलावा, यदि प्राधिकरण अपने मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के आधार पर "लागत प्लस" विनियामक दृष्टिकोण के तहत प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए आईएसपी के संबंध में नियमित टैरिफ निर्धारित करने का निर्णय लेता है, तो इस आदेश के अनुसार अंतरिम अवधि में तदर्थ टैरिफ के आधार पर आईएसपी द्वारा एकत्रित राजस्व को भी आईटीपी सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण के लिए ऐरा द्वारा हिसाब में लिया जाएगा।

13 नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्तावित आईएसपी की आईटीपी सेवाओं के संबंध में आईएसपी के लिए प्राधिकरण द्वारा **अनुबंध-I के अनुसार** तदर्थ टैरिफ का निर्णय लिया गया है, जो सीओडी से 31.03.2026 तक या आईओएसएल के लिए इंटोप्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगा।

आदेश

प्राधिकरण इसके समक्ष रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) आईओएसएल को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर **संलग्नक-I** के अनुसार **वाणिज्यक प्रचालन की तारीख से 31.03.2026 तक** या आईएसपी के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के संबंध में आईटीपी सेवाओं से संबंधित नियमित टैरिफ के निर्धारण तक, जो भी पहले हो, इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए टैरिफ वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) यह आदेश नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर में प्रस्तावित इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाएं शुरू करने से पहले आईओएसएल द्वारा सभी अपेक्षित विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर प्रभावी होगा।

(iii) इसमें बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले अधिकतम प्रभार होंगे। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अपनी आईटीपी सेवाओं से संबंधित आईएसपी के लिए अनुमोदित तदर्थ टैरिफ को सभी हितधारकों की सूचना के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(vi) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री विपिन वानखेड़े,
मुख्य वित्तीय अधिकारी,
इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड,
देवनहल्ली, बैंगलोर -560300

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) **सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003**
2) श्री क्रिस्टोफ श्नेलमैन, सीईओ, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जेवर।

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर इंटो प्लेन (आईटीपी) सेवाओं के लिए मैसर्स इंडियन ऑयल स्काईटैंकिंग के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित तदर्थ टैरिफ

तदर्थ टैरिफ सीओडी की तारीख से 31.03.2026 तक लागू है।

टैरिफ संरचना	**यूओएम**	**आईटीपी प्रभार**
हुक अप शुल्क/ उड़ान (जहां भी लागू हो)	भारतीय रुपये	1200.00
विमान का ईंधन	भारतीय रुपये/कि.ली.	310.00
विमान का ईंधन खाली करना		
6 घंटे के भीतर	भारतीय रुपये/कि.ली.	360.60
6 घंटे के बाद	भारतीय रुपये/कि.ली.	540.90
	भारतीय रुपये/कि.ली.	
खाली किया गया उत्पाद भरना		
6 घंटे के भीतर	भारतीय रुपये/कि.ली.	450.75
6 घंटे के बाद	भारतीय रुपये/कि.ली.	540.90

टिप्पणी : ऊपर अनुमोदित दरें अधिकतम दरें हैं, जिनमें सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हों, शामिल नहीं हैं।